अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

क्रमांक/विकास/2025/ २९१ रीवा, दिनांक : २१-५-२०२५

प्रति,

प्राचार्य

समस्त सम्बद्ध शासकीय/अशासकीय
महाविद्यालयों को पत्र सूचनार्थ
वेबसाइट के माध्यम से भेजा जाय।

विषय :— सत्र 2025—2026 में विधि पाठ्यक्रमों में प्रवेश दिये जाने बावत्।

सन्दर्भ :— अपर मुख्य सचिव म.प्र. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय भोपाल के पत्र क्रमांक 263/28/CC/38 भोपाल दिनांक 21.03.2025

महोदय,

उपर्युक्त संदर्भित विषयान्तर्गत लेख है कि सत्र 2025—2026 में विधि पाठ्यक्रमों में प्रवेश दिये जाने के संबंध में संदर्भित पत्र के द्वारा दिशा निर्देश जारी किये गये हैं, सुलभ संदर्भ हेतु पत्र की छायाप्रति संलग्न है।

अतः उक्त अनुसार प्रवेश दिये जाने संबंधी कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

संलग्न— यथोक्त।

आदेशानुसार,

कुलसचिव

प्रतिलिपि सूचनार्थ —

1. अधिष्ठाता, महाविद्यालयीन विकास परिषद्।
2. कुलगुरु जी के सचिव।
3. कुलसचिव के निज सहायक।
4. विभागाध्यक्ष, डिपार्टमेंट आफ कम्प्यूटर एप्लीकेशन, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा की ओर वेबसाइट में प्रदर्शन हेतु प्रेषित।
5. प्रभारी, एम.पी. आनलाइन, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा।

२१/५/२५

सहायक कुलसचिव (विकास)

AR (Dev)
25/03/25

8010
26/3/25

मध्य प्रदेश शासन
उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय

क्रमांक: 263/28/CC/38 भोपाल, दिनांक 21/03/2025

प्रति,

1. आयुक्त, उच्च शिक्षा, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
2. कुलसचिव, समस्त राज्य (सार्वजनिक) विश्वविद्यालय, मध्यप्रदेश।
3. सचिव, मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग, भोपाल।

विषयः- सत्र 2025-26 में विधि पाठ्यक्रमों में प्रवेश देने विषयक।

संदर्भः- माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर में प्रचलित रिट याचिका क्रमांक 2758/2025 में माननीय न्यायालय का आदेश दिनांक 07/03/2025।

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित याचिका में माननीय उच्च न्यायालय ने दिनांक 07/03/2025 को निम्नानुसार निर्देश दिए हैं-

R.) 6546.
25.3.25

> "Henceforth, we hereby make it clear that if any institution or university without any recognition of BCI is giving admission, it will specifically be mentioned that those got the admission in Law Course they will not be enrolled as an Advocate however that would be only for academic purpose."

2/- उक्त निर्देश के परिपालन में आगामी सत्र 2025-26 के लिए त्रिवर्षीय/पंचवर्षीय विधि पाठ्यक्रमों में प्रवेश देने के संबंध में निम्नानुसार निर्देश जारी किए जाते हैं-

(i) जिन विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों को सत्र 2025-26 के लिए बी.सी.आई. की वेबसाईट पर प्रदर्शित सूची के अनुसार मान्यता होगी, उनमें प्रवेश देने की अनुमति होगी।

(ii) जिन विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों को सत्र 2025-26 के लिए बी.सी.आई. की वेबसाईट पर प्रदर्शित सूची अनुसार मान्यता नहीं प्राप्त है, परंतु उनके द्वारा सत्र 2025-26 के लिए शुल्क जमा करने का प्रमाण उपलब्ध कराया जाता है, तो

शपथ पत्र के आधार पर प्रावधिक प्रवेश की अनुमति दी जाएगी एवं इसकी सूचना प्रवेश-पोर्टल पर प्रदर्शित की जाएगी।

(iii) जिन विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों को सत्र 2025-26 के लिए बी.सी.आई. की वेबसाईट पर प्रदर्शित सूची अनुसार मान्यता नहीं प्राप्त है एवं उनके द्वारा सत्र 2025-26 के लिए शुल्क भी जमा नहीं किया गया है, उन विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों में सत्र 2025-26 में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

(iv) जिन विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों के पास सत्र 2025-26 के लिए बी.सी.आई. द्वारा प्रदत्त मान्यता का पत्र हो परंतु, बी.सी.आई. की वेबसाईट पर उनका नाम प्रदर्शित नहीं हो अथवा जानकारी में विभेद हो, वहां प्रावधिक प्रवेश की अनुमति दी जाएगी एवं इसकी सूचना प्रवेश-पोर्टल पर प्रदर्शित की जाएगी।

(v) ऊपरोक्त कंडिकाओ के तारतम्य में प्रवेश-पोर्टल पर यह प्रदर्शित किया जाएगा कि जिन विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों के विधि पाठयक्रमों को बी.सी.आई. से मान्यता नहीं प्राप्त है, उनमें प्रवेश लेने वाले विद्यार्थी अधिवक्ता के रूप में पंजीकृत होने के लिए अपात्र हो सकते हैं, परन्तु अकादमिक उदेश्यों के लिए वे प्रवेश ले सकते हैं।

Rajan

(अनुपम राजन)
अपर मुख्य सचिव
म.प्र. शासन, उच्च शिक्षा विभाग

पृ. क्रमांक: 264/28/CC/38 भोपाल, दिनांक 21/03/2025

प्रतिलिपि:-

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, उच्च शिक्षा।
2. निज सहायक, माननीय राज्यपाल के अपर मुख्य सचिव, राजभवन, भोपाल।
3. सभापति, मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग, भोपाल।

Rajan

अपर मुख्य सचिव
म.प्र. शासन, उच्च शिक्षा विभाग

अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा से सम्बन्ध शासकीय/अशासकीय विधि महाविद्यालयों की सूची

सत्र 2024–25

1.	शासकीय विधि महाविद्यालय, रीवा
2.	शासकीय स्वामी विवेकानंद महाविद्यालय, त्योंथर, रीवा
3.	नेहरू स्मारक महाविद्यालय, चाकघाट, जिला रीवा (अनुदान प्राप्त)
4.	पं. रामसुन्दर शुक्ला शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान, पहड़िया, जिला रीवा पूर्व नाम – अरुण तिवारी स्मृति महाविद्यालय, पहड़िया, जिला रीवा
5.	श्रीयुत महाविद्यालय, गंगेव, जिला रीवा
6.	टी.डी. शिक्षा महाविद्यालय, चाकघाट, जिला रीवा
7.	पेन्टियम प्वाइंट टेक्निकल कालेज, रीवा
8.	सोहागी कालेज आफ एजूकेशन, खटिया, सोहागी, जिला रीवा
9.	पेन्टियम प्वाइन्ट कालेज आफ लॉ, हर्दी सेमरिया रोड, रीवा
10.	डी.आर.एस. बी.एड. कालेज, गंगापुर, रीवा
	जिला मऊगंज
11.	शासकीय शहीद केदारनाथ महाविद्यालय, मऊगंज
	जिला सतना
12.	विन्ध्यांचल महाविद्यालय, जिगना, जिला सतना
13.	स्वामी नीलकण्ठ विधि महाविद्यालय, मैहर
14.	महात्मा गांधी कम्प्यूटर कालेज, पन्ना रोड, सतना
15.	श्री रामाकृष्णा कालेज आफ ला, भरहुत नगर, सतना
16.	आदित्य ग्रुप आफ इंस्टीट्यूट कालेज आफ एजूकेशन, सतना (AGICOE)
17.	स्कालर्स होम कालेज, सतना

18.	जानकी प्रसाद शिक्षा महाविद्यालय, शहपुर, नागौद, जिला सतना
19.	इन्द्रा स्मृति महाविद्यालय, न्यू रामनगर, सतना
20.	विधि महाविद्यालय, सतना
21.	चन्द्रशेखर कालेज आफ ला, कोठी रोड, बगहा, सतना
	जिला शहडोल
22.	दि कालेज आफ ला एण्ड लीगल एड, शहडोल
23.	जनता विधि महाविद्यालय गोहपारू, जिला शहडोल
	जिला अनूपपुर
24.	संस्कार विधि महाविद्यालय, अनूपपुर
25.	पं. रामगोपाल तिवारी तकनीकी एवं विज्ञान महाविद्यालय, अनूपपुर
26.	डिजिटल कालेज आफ एजूकेशन, कोतमा, जिला अनूपपुर
	जिला उमरिया
27.	कमला लॉ एण्ड रिसर्च महाविद्यालय, बिरसिंहपुरपाली, जिला उमरिया
	जिला सिंगरौली
28.	मायाराम महाविद्यालय, मेढ़ौली मोरवा, जिला सिंगरौली
29.	अमृत ला कालेज, विन्ध्यनगर, सिंगरौली
	जिला सीधी
30.	शिक्षा महाविद्यालय, सीधी
31.	साक्षी ला कालेज, बढ़ौरा, जिला सीधी

सहायक कुलसचिव

(विकास विभाग)